Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

बंटवारा वाद सं.– 10/2024 सी.आई.एस.क्र.– 10/2024

सुरेश मंडल एवं अन्य बनाम ललन मंडल एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
23.03.2026	वादी की कोइ पैरवी नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 से 4 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी सं0 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.12.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर उक्त प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 से 4 इस वाद में दिनांक 20.02.2025 को उपस्थित हुये परंतु दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने के कारण नियत समय में लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके जिस कारण से उन्हें दिनांक 20.05.2025 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा इस वाद में लिखित कथन दिनांक 05.12.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः निवेदन है कि दिनांक 20.05.2025 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0 1 से 4 के लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाये। वादी के द्वारा उक्त आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 से 4 जानबूझकर नियत समय में लिखित कथन नहीं दिये हैं। अतः उनके आवेदन को खर्च के साथ स्वीकृत करने की कृपा की जाये। शेष प्रतिवादी इस वाद में अनुपस्थित हैं। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 1 से 4 इस वाद में दिनांक 20.02.2025 को उपस्थित हुये परंतु बार–बार निर्देश के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उन्हें दिनांक 20.05.2025 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है। उक्त प्रतिवादीगण वाद में संघर्ष करने के लिये तैयार हैं तथा उनकी ओर से लिखित कथन वाद में प्रस्तुत किया गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं0 1 से 4 के आवेदन को **500/– रूपये खर्च पर न्यायहित में स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 1 से 4 के लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 04.04.2026 वास्ते उपस्थिति। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	